

उपम अपील अधिकारी
 ग्रेटर नोएडा कोशिक विकास प्राधिकरण
 ग्रेटर नोएडा, गौंठू नगर उत्तर प्रदेश

353/4

20-5-22

विषय:- RTI अधिनियम 2005 की धारा -19(1) के तहत उपम अपील

→ मैंने RTI-2005 के तहत आपके विभाग के लोक सूचना अधिकारी जी से

निम्नलिखित बिन्दुओं पर सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन किया था:-

① ग्राम पाली परगना व तहसील दादरी, जिला-गौंठू नगर में जसली 1412 से 1417 के खाला संख्या 167 खसरा नं 124 रकबा 1.7130 हे० भूमि अंशोमी में पर्ज है परन्तु आपके विभाग द्वारा 1.7120 हे० भूमि का मुआवजा दिया गया, अतः भूमि 10% भूमि का मुआवजा कम क्यों उत्पन्न किया गया ?

② जी 10% मिलान कोल का शुद्धतु दिया जा रहा है वह कुल शुद्धतु संख्या 393 पाकेट-सी रकबा 1710 वर्ग मी० साध-पाली में दिया जा रहा है जो 10 गडदे में है जबकि, जमीन अधिग्रहण के समय 93000/- कम मुआवजा दिया गया था (बेत गडदे में दोन पर), फिर भी भूमि फ्लॉट गडदे में क्यों दिया जा रहा है

→ अतएव जो सूचना जन सूचना अधिकारी से उपलब्ध करायी है वह मेरे द्वारा मांगी गयी सूचना का सही जवाब नहीं है

आपसे विवेक है कि RTI-2005 की धारा 19(1) के तहत क्या विचार सुनवाई करे तथा लोक सूचना अधिकारी से मुझे मांगी सूचना के अभाव में आवेदन करके का आदेश दे

RTI-2005
 App No - 3498 (1005) 2022
 23/5/22

नाम - रविन्द्र शर्मा
 पता - ग्राम फाँसट - पाली
 दादरी गौंठू नगर

रविन्द्र शर्मा
 Mob - 9911444098

दिनांक - 19/5/2022
 19/05/2022
 मो - 9911444098

SDM land
 23/5/22

संलग्न - 1. आवेदन की प्रति
 2. आवेदन शुल्क की प्रति
 3. जन-सूचना अधिकारी द्वारा उत्पन्न गयी जवाब